# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के मुख्य बिन्दु

1. सूचना का क्या मतलब है ?

- सूचना किसी भी प्रकार की कोई सामग्री हो सकती है जैसे अभिलेख, ज्ञापन, दस्तावेज, मीमो, ई–मेल, मत, विचार, परामर्श, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश पत्र, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, माइक्रो फिल्म के प्रतिबिंब तथा कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित।

2. सूचना का अधिकार का क्या मतलब है ?

सभी नागरिक किसी सी लोक प्राधिकरण/सरकारी कार्यालय से निम्नलिखित तरीकों से सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं :––

- कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना।
- दस्तावेजों तथा अभिलेखों की प्रमाणित कापी लेना।
- सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।
- डिस्केट्स, फ्लोपी, टेप, वीडियो कैसेटस या अन्य इलैक्ट्रॉनिक तरीके या प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करना।

3. सूचना का अधिकार के दायरे में कौन आते हैं ?

सूचना का अधिकार प्रत्येक लोक प्राधिकरण पर लागू होता है, जिसकी परिभाषा में ऐसे प्राधिकरण, निकाय या

स्व–शासित संस्थान शामिल हैं जिनकी स्थापना/गठन निम्नानुसार की गई हो :––

- संविधान द्वारा या उसके अधीन।
- संसद या विधान मण्डल के बनाए हुए कानून द्वारा।
- सरकार के आदेश द्वारा।
- राज्य सरकार के स्वामित्व वाले/गठित/नियंत्रित/पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त सभी निकाय/कार्यालय।
- गैर–सरकारी संगठन/अन्य संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित हैं या सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर्याप्त मात्रा में सहायता प्राप्त करते हैं।

4. लोक सूचना अधिकारी कौन होता है ?

- लोक सूचना अधिकारी, लोक प्राधिकरण/सरकारी कार्यालय द्वारा इकाईयों या कार्यालयों में नियुक्त वह अधिकारी हैं जो आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराते हैं।
- यदि कोई नागरिक आवेदन–पत्र लिखने में कठिनाई महसूस करता है तो लोक सूचना अधिकारी का कर्त्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को आवेदन लिखवाने में यथा सम्भव सहायता करें।

5. सूचना देने की अवधि क्या है ?

| साधारण आवेदन | जीवन या स्वतन्त्रता सम्बन्धित आवेदन | तृतीय पक्ष से सम्बन्धित आवेदन |
|---|---|---|
| 30 दिन | 48 घण्टे | 40 दिन |

6. सूचना पाने के लिए क्या प्रक्रिया है ?

कदम–1 आप जिस लोक प्राधिकरण/सरकारी विभाग/निकाय से सूचना लेना चाहते हैं, उसका नाम व पता खोजें।

कदम–2 उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता खोजें जहां आपका आवेदन–पत्र लिया जा सके।

कदम–3 आवेदन पत्र सादे कागज पर हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है। आवेदन–पत्र में लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पता, सूचना का विषय तथा आपका नाम एवं पता लिखा होना चाहिए।

कदम–4 आवेदन–पत्र के साथ आवेदन शुल्क 10/–रुपये का ट्रेजरी चालान या बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर, जोकि लोक सूचना अधिकारी को देय हो, जमा करना जरूरी है।

कदम–5 आवेदन–पत्र लोक सूचना अधिकारी/सह लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करें तथा पावती जरूर लें।

- यदि आप आवेदन–पत्र डाक से भेजते हैं तब रजिस्ट्री या यू.पी.सी. से भेजें तथा शुल्क बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर से दें।
- आवेदन–पत्र में सूचना प्राप्त करने के लिये कोई कारण देने की जरूरत नहीं है।

7. सूचना प्राप्त करने हेतु अन्य शुल्क की मात्रा क्या है ?

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार सूचना प्राप्त करने के विभिन्न शुल्क निम्न हैं :––

जहां सूचना प्रकाशन मूल्य के रूप में उपलब्ध है मुद्रित मूल्य पर प्रकाशित मूल्य से अन्यथा के लिए *ए–4 आकार या उससे छोटे पृष्ठ के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ और बड़े आकार के पृष्ठ के लिए वास्तविक मूल्य, न्यूनतम 20 रुपये।*

जहां सूचना इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध है और इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में दी जानी है जैसे फ्लौपी व सीडी इत्यादि

*50 रुपये प्रति फ्लौपी व 100 रुपये प्रति सीडी।*

अभिलेख/दस्तावेज के निरीक्षण के लिए फीस

*30 मिनट या उसके भाग के लिए 20 रुपये*

- गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों से आवेदन तथा सूचना फीस देय नहीं है।

8. अपील किस आधार पर की जा सकती है ?

यदि आवेदक को निर्धारित समय सीमा में लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसके आवेदन पर लिया गया कोई फैसला प्राप्त न हो या आवेदक लोक सूचना अधिकारी के फैसले से संतुष्ट न हो तो उस अवस्था में सूचना का अधिकार अधिनियम में निम्न प्रावधान है :--

**पहली अपील** : लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के खिलाफ सरकारी विभाग के अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। अपील लोक सूचना अधिकारी के आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर की जानी चाहिए।

**दूसरी अपील** : अपीलीय अधिकारी के फैसले से यदि आवेदक असंतुष्ट है या फैसला अधिकतम 45 दिनों में नहीं लिया गया है तब आवेदक अपील के फैसले के 90 दिनों के अन्दर राज्य सूचना आयोग को दूसरी अपील कर सकता है।

- अपील दायर करने के लिये किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है तथा आदेश की कापी भी निःशुल्क प्राप्त होती है।

9. सूचना आयोग की शक्तियां और कर्त्तव्य क्या हैं ?

हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग का कार्यालय राजधानी शिमला में निम्न स्थान पर है :--

राज्य सूचना आयोग
मजीठा हाऊस
शिमला–171 002.
**ई–मेल:sic.hp@nic.in**
दूरभाष : 0177–2620166

- सूचना आयोग ऐसे किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त कर सकता है :—
  - जिसको लोक सूचना अधिकारी ने सूचना देने से मना कर दिया है या अधूरी एवं गलत सूचना दी है।
  - जिसको लोक सूचना अधिकारी ने निर्धारित अवधि के अन्दर सूचना नहीं दी है
  - जिसको लोक सूचना अधिकारी द्वारा तय किया हुआ शुल्क ज्यादा लगता है।
  - जो आवेदन नहीं जमा कर सकता क्योंकि लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है।
- सूचना आयोग को दीवानी न्यायालय की निम्न शक्तियां प्राप्त हैं :—
  - किसी व्यक्ति को बुलाने और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना, मौखिक या लिखित वक्तव्य लेना।
  - सरकारी कार्यालय को दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए विवश करना, किसी दस्तावेज को खोजना और निरीक्षण करना, शपथ–पत्र पर साक्ष्य लेना।
- सूचना आयोग अपने फैसलों द्वारा :—
  - लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करवा सकता है एवं सूचना दिलवा सकता है।
  - आवेदक के नुकसान का हर्जाना दिलवा सकता है।
  - लोक सूचना अधिकारी पर दण्ड लगा सकता है। यदि लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझ कर सूचना देने में देरी की है या बाधा डाली है, तो उस पर 250/– रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है जो अधिकतम 25,000/– रुपये हो सकता है तथा दण्ड में

लोक सूचना अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है।

10. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सूचना के अधिकार की जानकारी बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

- लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी/अपील प्राधिकारी तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी वर्गों के लिये सूचना के अधिकार पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किया जाता है।
- राज्य के प्रत्येक जिले में सूचना के अधिकार पर विशेष प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
- लोक प्राधिकरण/लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा आम नागरिकों के लिए सरल भाष' में सरकार द्वारा मार्गदर्शिकाओं का प्रकाशन एवं वितरण।
- हिमाचल प्रदेश लोक प्राधिकरणों में नियुक्त लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय अधिकारियों की सूची को इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक किया गया है।
- हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की संस्तुतियों के आधार पर सूचना के अधिकार को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिये समय–समय पर उचित कदम उठाए जाते हैं।
- अधिनियम की धारा–4 के प्रावधानों का कार्यान्वयन करवाया जा रहा है।

हि.प्र. लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलान्ज, शिमला–12

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला–2355–हिप्पा/12–21–3–2012–25,000.